प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 175/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पता: वार्ड नंबर 8, कन्याशाला के पास, वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

दिनांक: 13-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 को भू प्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन दिनांक 17.10.2024 को अति. जिला कलक्टर को प्रेषित किया गया। अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी के उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 22.10.2024 को तहसीलदार वल्लभनगर को अंतरित किया गया। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 28.11.2024 से सूचना उपलब्ध कराई गई प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/175/24/1459–50 दिनांक 16.12.2024 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा जो सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है, उससे अपीलार्थी संतुष्ट नहीं है। अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र वल्लभनगर स्थित तालाब गडुल सागर के भराव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र में आने वाले खसरो मय नक्शाशीट की प्रमाणित प्रति मांगी थी, जिसके जवाब में बिन्दु संख्या 1 में कथन किया गया कि राजस्व ग्राम वल्लभनगर में कम्बोया तालाब, गडुल सागर के बहाव क्षेत्र की जमाबन्दी व नक्शाशीट ऑनलाईन उपलब्ध है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा अपील में कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही गई थी, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उस रूप में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाकर सूचना ऑनलाईन उपलब्ध होने का कथन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वल्लभनगर स्थित तालाब गडुल सागर के भराव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र में आने वाले खसरो मय नक्शाशीट की प्रमाणित प्रति चाही गई है, जो प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। चूंकि अपीलार्थी जवाब से

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

ट नहीं है अतः प्रत्यर्थी वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित र।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार वल्लभनगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार प्रमाणित कर निःशुल्क भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वल्लभनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर